ऑन लाईन नं.RCMS2023/285

न्यायालय : न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : अरविन्द कुमार जाखड़, आर.ए.एस.

न्याय निर्णयन आवेदन सं0 120/2023

श्री लक्ष्मीकांत गुप्ता, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यलय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर।

बनाम

1. श्री अमनाराम चौधरी सपुत्र श्री भूराराम चौधरी –विक्रेता–
   मै0 चौधरी मावा भण्डार, कोडा चौंक, गुरूनानक स्कूल के पास दुकान नं.6 जिला श्रीगंगानगर।

अपराध अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा

एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26(2)(ii)/51

निर्णय **दिनांक : 14.11.2023**

सक्षेंप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री लक्ष्मीकान्त गुप्ता दिनांक 26.10.2020 से कार्यालय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर का कार्य सम्पादन कर रहे है। राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित गजट नोटिफिकेशन के अनुसार खाद्य सरुक्षा अधिकारी, नियुक्त किया गया है। आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राजस्थान जयपुर के आदेश दिनांक 26.10.2020 के अनुसार उन्हें कार्य क्षेत्र मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर आवंटित किया गया है। श्रीगंगानगर कार्यालय के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र उनके कार्य क्षेत्र में बताये है।

श्री लक्ष्मीकांत गुप्ता , खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 27.10.2021 को बाद दोपहर बाद 1.00 पी.एम. का **मै0 चौधरी मावा भण्डार, कोडा चौंक, गुरूनानक स्कूल के पास दुकान नम्बर 06, श्रीगंगानगर जिला श्रीगंगानगर** पर पहुंचा। मौके पर विक्रेता **अमाना राम चौधरी पुत्र भूराराम चौधरी** (विक्रेता व मालिक) को अपना परिचय देकर दुकान में लोहे के 8 पीपों मे लगभग 160 किलोग्राम खाद्य पदार्थ **मीठा मावा मिठाई** के बारे में जानकारी चाही, इस पर विक्रेता ने स्वयं को दुकान का विक्रेता एवं मालिक होना बताया तथा संस्थान में दुकान में लोहे के 8 पीपोंमें लगभग 160 किलोग्राम खाद्य पदार्थ **मीठा मावा मिठाई** को आमजन के विक्रय वास्ते होना बताया। **मीठा मावा मिठाई** में मिलावट का शक होने पर विक्रेता से नमूना जांच वास्ते **मीठा मावा मिठाई** का नमुना लेने की इच्छा विक्रेता को फार्म नम्बर 5 ए भरकर देते हुए वरवक्त मौके पर ही विक्रेता को फार्म नम्बर 5 ए भरकर दिया जिस पर विक्रेता व गवाहान के व मैने हस्ताक्षर किये। फार्म नम्बर 5 ए न्याय निर्णयन के साथ सलंग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म नम्बर 5 ए की प्रतियां तैयार कर विक्रेता एवं मालिक तथा गवाहान को पढकर सुनाकर एवं समझकर हस्तक्षर करने को कहा जिसे **अमाना राम चौधरी पुत्र भूराराम चौधरी** एवं गवाहान ने भी पढकर समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फार्म से 5 ए की एक प्रति विक्रेता एवं मालिक **अमाना राम चौधरी पुत्र भूराराम चौधरी** को देकर असल पर रसीद प्राप्त की। फार्म नम्बर 5ए मूल सलंग्न न्यायनिर्णयन आवेदन है।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा संस्थान का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु उपलब्ध **मीठा मावा मिठाई** में से 2 किलोग्राम विक्रेता से तय कीमत पर खरीद किया। विक्रेता को मौके पर ही उक्त **क्रयशुदा मीठा मावा मिठाई** का नगद भुगतान 440/– रूपये किया तथा कैशमीमो बनावाकर लिया जिस पर विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर है और मेरे भी हस्ताक्षर है। केशमीमो न्यायनिर्णय आवेदन के साथ सलंग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **मीठा मावा मिठाई** 2 किलोग्राम को एक रूपकर बराकर भागों में बांटकर चार बोतलों में भरकर लिया। प्रत्येक बोतल में फार्मेलिन की 40 बूंदे डालकर कसकर ढक्कन बंद किये और चारों बोतलों पर लेबल तैयार कर चिपकाये और लेबलों पर डी.ओ. श्रीगंगानगर के **कोड व क्रमांक के–1247** दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान के हस्ताक्षर करायें। चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. श्रीगंगानगर की हस्ताक्षरशुदा **पेपर स्लिप के–1247** नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आयें। चारों नमूना भागों के पेपर पर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं के आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर कर सील बन्द चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया।

मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे **अमाना राम चौधरी पुत्र भूराराम चौधरी** एवं गवाहान ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फर्द रिपोर्ट मूल सलंग्न न्यायनिर्णयन आवेदन है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म नं 06 की आठ प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिसमें नमूना सील मोहर किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 06 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर किया। अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) ने नमूने का एक भाग एवं फार्म 6 का एक सील बन्द लिफाफा स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हैल्थ लैबोरेटरी, बीकानेर (राजस्थान) को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं शेष तीन सील बन्द नमूना भाग मय फार्म 6 का सील बन्द लिफाफा डी.ओ. कम सी.एम.एच.ओ. श्रीगंगानगर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

रेफरल लेब पुणे द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांक :–RFL/P/DO/648/22/101/2022-23 Dated 27-02-2023 को प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य नमूना **K-1247 Sub-Standard Food** होना पाया गया। इस पर अभिहीत अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने प्रकरण में अभियुक्त **अमाना राम चौधरी पुत्र भूराराम चौधरी** मैसर्स **चौधरी मावा भण्डार, कोडा चौंक, गुरूनानक स्कूल के पास दुकान नम्बर 06, श्रीगंगानगर जिला श्रीगंगानगर** द्वारा अमानक स्तर **मीठा मावा मिठाई** का विक्रय किये जाने को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (ii)/51 के अन्तर्गत न्याय निर्णयन आवेदन दिनांक 13.10.2023 को प्रस्तुत किया गया।

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

परिवाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अभियुक्त को तलब किया गया। अभियुक्त को परिवाद की प्रति उपलब्ध कराई गई।

अभियुक्त ने अपने जवाब में कथन किया है कि प्रार्थी चौधरी मावा भण्डार, कोडा चौक, गुरूनानक स्कूल के पास, दुकान नम्बर 06 श्रीगंगानगर जिला श्रीगंगानगर का मालिक है। प्रार्थी की दुकान पर दिनांक 27.10.2021 को दोपहर बाद निरीक्षण किया गया तथा निरीक्षण के दौरान दुकान में 8 लोहे के पिपों में रखें लगभग 160 किलोग्राम खाद्य पदार्थ मीठा मावा मिठाई मौजूद था जो बाद जांच अमानक पाया गया का आरोप लगाकर प्रार्थी के विरूद्व उक्त प्रकरण दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर प्रार्थी को नोटिस दिया गया है। वास्तविकता यह है कि प्रार्थी द्वारा बाजार से दूध खरीद करने के बाद मावा बनाया गया था सामान्यता प्रार्थी द्वारा बाजार से ही दुध खरीद करने के बाद मावा बनाया गया था सामान्यता प्रार्थी द्वारा बाजार से ही दुध खरीद कर मावा बनाया जाता है। प्रार्थी द्वारा उक्त मिठाई किसी भी प्रकार की कोई मिलावट नहीं की गई बल्कि प्रार्थी द्वारा मिठाई पूर्णत्या सावधानी एवं सही मानक तरीके से बनायी गई थी तथा इस मिठाई में किसी भी तरह का कोई भी दोष या त्रुटि नहीं है अगर कोई दुध विक्रेता द्वारा उसमें मिलावट की गई है तो प्रार्थी को इसकी जानकारी नहीं है। हालांकि प्रार्थी दुध खरीद करते समय भी उसकी जांच परख करते समय पैमाना भी अपनी दुकान में रखा हुआ है जब प्रार्थी द्वारा दुध लेते समय दुध की जांच की थी। प्रार्थी द्वारा किसी भी तरह से धारा 26 की उपधारा (11) का उल्लंधन नही किया है। अतः जवाब नोटिस प्रस्तुत कर निवेदन है कि आप द्वारा की गई कार्यवाही दाखिल दफतर फरमायी जावें। प्रार्थी को राहत दिलायी जावें।

परिवाद पर दोनों पक्षों को सुना गया।

राज पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि अभियुक्त से लिया गया **मीठा मावा मिठाई** का सैम्पल **K-1247** जांच रिपोर्ट क्रमांक :—RFL/P/DO/648/22/101/2022-23 Dated 27-02-2023 द्वारा **Sub-Standard Food** होना पाया गया है। अतः अभियुक्त के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा (2)(ii) का उल्लंधन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है।

अभियुक्त ने अपनी बहस में जवाब के कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी की दुकान पर दिनांक 27.10.2021 को दोपहर बाद निरीक्षण किया गया तथा निरीक्षण के दौरान दुकान में 8 लोहे के पिपों में रखें लगभग 160 किलोग्राम खाद्य पदार्थ मीठा मावा मिठाई मौजूद था । प्रार्थी द्वारा बाजार से दूध खरीद करने के बाद मावा बनाया गया था सामान्यता प्रार्थी द्वारा बाजार से ही दुध खरीद करने के बाद मावा बनाया गया था। प्रार्थी द्वारा उक्त मिठाई किसी भी प्रकार की कोई मिलावट नहीं की गई बल्कि प्रार्थी द्वारा मिठाई पूर्णत्या सावधानी एवं सही मानक तरीके से बनायी गई थी अगर कोई दुध विक्रेता द्वारा उसमें मिलावट की गई है तो प्रार्थी को इसकी जानकारी नहीं है। हालांकि प्रार्थी दुध खरीद करते समय भी उसकी जांच परख करते समय पैमाना भी अपनी दुकान में रखा हुआ है जब प्रार्थी द्वारा दुध लेते समय दुध की जांच की थी। प्रार्थी द्वारा किसी भी तरह से धारा 26 की उपधारा (11) का उल्लंधन नहीं किया है। अतः आप द्वारा की गई कार्यवाही दाखिल दफतर फरमायी जावें। प्रार्थी को राहत दिलायी जावें।

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

बहस पर मनन किया गया । पत्रावली का अवलोकन किया गया।

इस प्रकार अभियुक्त से लिया गया **Sample of "Bharfi-Milk Sweets" bearing Code No and Sr. No. K-1247, does not conform to the standards of Proprietary Food Prepared Food, as per Regulation 2.1.2.1 & Food Category System No.1.7 (Dairy based desserts), of the Food Safety and Standards (Food Products Standards & Food Additives) Regulations,2011 and further amendments, on the basis of telsts performed. Hence Sub-Standards as per section 3(1)(zx) of Food Safety & Standards Act-2006.** की जॉच रिपोर्ट पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है।

फलस्वरूप अभियक्त **अमाना राम चौधरी पुत्र भूराराम चौधरी**एक्ट 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (ii) के अन्तर्गत घटित अपराध का दोषी पाया जाता है। फलतः अभियुक्त **अमाना राम चौधरी पुत्र भूराराम चौधरी** को खादय सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के अन्तर्गत राशि रूपये 20,000--00 (अखरे रूपये बीस हजार मात्र) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है।

अभियुक्त को यह निर्देश दिये जाते है कि भविष्य में **अमाना राम चौधरी पुत्र भूराराम चौधरी** खाद्य पदार्थ में डालने के लिए उच्च गुणवत्ता के घटकों का इस्तेमाल करें, ताकि ऐसे खाद्य पदार्थो से उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इन आदेशों की पालना सख्ती से की जावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 14.11.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अरविन्द कुमार जाखड़)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट(प्रशा0)
श्रीगंगानगर।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर